हैं । सब प्रान्तों से कब तक मलाह मश्विरा पूरा कर लिया जाएगा ? कब तक इसको अन्तिम रुप दे दिया जाएगा ?

श्री लारंग साय : माननीय सदस्य का और मेरा मंशा एक ही है । हम दोनों चाहते हैं कि यह कानून जल्दी बने । इसलिए प्रत्येक राज्य की राय जानने के लिए उनको पत्र लिख दिया गया है और यह काम जल्दी हो सके इसके लिए उन से कहा गया है कि 31 मई, 1978 तक उनके कमैंट्स आ जाने चाहियें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके ।

श्री केशव राव धोंडगे : देश में कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने ऐसा कानून पास किया है ? उन की सलाह से पहले क्या आपन भी कोई अपनी राय कायम की है ताकि इन खेतिहर मजदूरों के हितों का संरक्षण हो सके, इनकी मदद हो सके या आप उनकी राय के बाद ही अपनी कुछ राय बनाने वाले है ?

श्री लारंग साय : इस में कोई दो रायें नहीं हैं कि केन्द्रीय सरकार का भी इस प्रकार का मंशा है और राज्यों की सरकारों का भी है कि रुरल लेबर और खेतिहर मजदूरों के लिए कुछ कानून बने। जहां तक केरल के कानून का प्रश्न है उसके बारे में भी विचार किया गया और बदली हुई परिस्थितियों में यह महसूस किया गया कि फिर से उन राज्यों से सलाह ली जाए क्योंकि इस में महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून बनाना उतने महत्व की बात नहीं है जितनी उसका इम्प्लेमेंटेशन और जब तक इस के बारे में राज्यों की सलाह नहीं लेंगे तब तक कठिनाई पैदा हो सकती है ।

श्री कशवराव धोंडगे : अब तक कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स ने कानून पास किया है ?

MR. SPEAKER: All State Governments are being consulted.

SHRI K. MALLANNA: May I know from the hon. Minister whether Government have made any study of the conditions of unorganised labour, and if so, what are their findings? What actions do they contemplate to improve their conditions?

MR. SPEAKER: This too is under consideration.

श्री लारंग साय : समय समय पर राज्य सरकारों से हम मिलते रहते हैं और जो लगातार चली आ रही स्कीमें हैं उन में इन मजदूरों के लिए राज्य सरकारों के द्वारा प्रयास किया जाता है कि उनको रोजी ठीक से मिले । अलग अलग राज्यों में वेजिज अलग अलग हैं । उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए भी और उसके लिए बातचीत करने के लिए भी सोचा जा रहा है ।

चौधरी बलबीर सिंह: अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि उनका कोई संगठन हो इसके बारे में सोचा जा रहा है । क्या सरकार उनको संगठित करने के लिए कोई कार्रवाई करेगी या जो लोग पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वही उनका संगठन करेंगे ? कुछ राज्यों में कानून बने हुए हैं । वहां उनके इम्प्लेमेंटेशन के लिए कोई मशीनरी नहीं है । फिर यह जो एग्रिकलचर है यह स्टेट सबजेक्ट है । इस के बारे में केन्द्र क्या अपना कानून अलग से बना सकेगा या नहीं बना सकेगा ?

श्री लारंग साय : आखिरी सवाल का मैं पहले जवाब देना उचित समझता हूं । जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कानून बनाए जाने का सम्बन्ध है, केन्द्र एक माडल कानून बनाएगा और उसके आधार पर राज्यों को यह अधिकार होगा कि वे अपने कानून बना सकें । राज्यों की यह भी एक मांग थी कि केन्द्र एक इस प्रकार का कानून बनाए जिस का सभी राज्य अनुकरण कर सकें । पहला प्रश्न माननीय सदस्य का संगठन के बारे में था कि सरकार उनका किस प्रकार से संगठन करेगी। शासन के बस की बात नहीं है और न ही कोई ऐसा प्रावधान है कि शासन उनका संगठन करे । हां यह जरूर होगा कि जो अशासकीय संगठन हैं यदि वह संगठन करने में अपना कदम उठायेंगे और उसमें शासन से कोई सहायता चाहत हैं तो शासन वह सहायता देगा ।

रक्त चाप और हृदय रोगों के मामले

*1069. **दयाराम शाक्य:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राजधानी में रक्त चाप और हृदय रोगों के मामलों का पता लगाने के लिये हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत लोग इन रोगों से पीड़ित पाये गये हैं और उनके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण): (क) राजधानी में उच्च रक्त चाप और हृदय रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई महामारी विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री दयाराम शाक्य : अध्यक्ष महोदय, आजकल सारे देश में और विशेष कर बड़े नगरों में रक्त चाप और हृदय रोग की बीमारी बहुत फैल रही है और इस रोग में उपचार के लिए समय भी नहीं मिलता है क्योंकि मृत्यु जल्दी हो जाती है । तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ऐसे

भयानक रोग जिसमें उपचार के लिये समय भी नहीं मिल पाता है और आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसके लिये कोई विशेष योजना इस रोग के उपचार के लिये सरकार ने सोची है ?

श्री राजनारायण : श्रीमन, सम्मानित सदस्य का यह प्रश्न सत्य है कि इस समय हृदय रोग बहुत से लोगों को ग्रसित कर रहा है। उसके अनेक कारण है, और शहर में रहने वाले लोग ज्यादा हैं और जो बैठे रहते है शारीरिक श्रम नहीं करते हैं उनको हृदय रोग ज्यादा होता है। बहुत से लोग जो धूम्रपान करते हैं उन्हें यह रोग होता है या जो शराबपान करते हैं उनको हृदय रोग होता है।

MR. SPEAKER: Mr. Minister, the question is not about the causes. The question is: what are the remedies?

श्री राजनारायण : इसलिये सरकार ने अध्ययन केन्द्र 6 खोले हैं ताकि वह ठीक जांच कर के पता लगायें। एक दिल्ली में, एक श्रीनगर में, एक कलकत्ता में, एक पूने में अथवा कोल्हापुर में, एक हैदराबाद अथवा नीलगिरि में, एक जबलपुर मध्य प्रदेश में और एक भागलपुर में। इन 8 स्थानों में हम खोलने का विचार कर रहे हैं ताकि अध्ययन करें और किसी निश्चित नतीजे पर पहुंच सकें कि हृदय रोग किन किन कारणों से किस प्रकार से होता है।

श्री दयाराम शाक्य : मंत्री महोदय ने बताया है कि धूम्रपान और शराब के इस्तेमाल से यह रोग ज्यादा होता है। मैं बताना चाहता हूं कि लो ब्लड प्रेशर के मरीज को विशेष रूप से डाक्टर ऐल्कोहालिक मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब करते हैं। तो यह रोग किन कारणों से होता है और क्यों बढ़ रहा है इसके लिये सरकार विशेष अध्ययन दल द्वारा कुछ जांच करने की कोशिश करेगी ?

श्री राजनारायण : वास्तव में अगर हृदय को ठीक गति देनी है तो सम्मानित सदस्यों को क्या खाना चाहिये, और विशेषकर उगा हुआ चना खाना चाहिये। मैं तो खाता हूं। आप चना भिगो दीजिये और एक दिन बाद निकाल लीजिये, उसमें अंकुर आ जायगा, उसको खाने से हृदय रोग नहीं होगा। . . .

(व्यवधान)

बीच में यह लोग बोलते हैं इनको रोकिये। हमारी आदत नहीं है कि सदन में हल्ला में बोलें। हम शांतिप्रिय आदमी हैं और चाहते हैं कि माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री केशव राव धोंडगे : यह डाक्टर की राय है या आपकी राय है ?

श्री राजनारायण : बैठिये रोगी ही डाक्टर हो जाता है। आप 5, 6 लाख जनता के प्रतिनिधि हैं कोई तो बात समझने की कोशिश कीजिये।

इन्होंने कुछ और प्रश्न पूछा था।

SHRI DAYA RAM SHAKYA: rose

MR. SPEAKER: He has given more than what you have asked.

श्री दयाराम शाक्य : मंत्री महोदय ने कहा है कि एलकोहल या शराब के इस्तेमाल से हृदय रोग होता है, लेकिन डाक्टरों का कहना है कि लो ब्लड प्रेशर के मरीजों द्वारा एलकोहलिक मेडिसन्ज के प्रयोग से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है।

MR. SPEAKER: You are prescribing something, you are not questioning something.

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : मेडिकल इंस्टीट्यूट में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए हर मरीज से दस से पंद्रह हजार रुपया लाने के लिए कहा जाता है, जिस की वजह से कई लोग आपरेशन नहीं करा पाते हैं और वहां से वापस आ कर मर जाते हैं। क्या गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार है कि जिस गरीब आदमी को ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, उस का आपरेशन मुफ्त किया जाये और गवर्नमेंट उस का खर्च बर्दाश्त करे ?

श्री राजनारायण : मैं श्री मलहोत्रा का बहुत ही अनुगृहीत हूं कि उन्होंने वस्तुस्थिति को स्पष्ट कर दिया है। मुझे तो प्रतिदिन कम से कम दो तीन पत्र मिलते हैं, जिन में अनुरोध किया जाता है कि हमारे हार्ट की ओपन सर्जरी कराई जाये। उस में बारह से चौदह हजार रुपया लग जाता है। मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास इतने फंड्ज नहीं हैं कि वह फ्री ओपन हार्टसर्जरी कर सके। जहां तक मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमारे पास कुछ डिसक्रीशनरी फण्ड रहता है बहुत थोड़ा, पांच लाख रुपये के करीब। अगर हम पंद्रह, बीस हजार रुपया एक मरीज को दें, तो हम कितनों को दे सकते हैं? प्रश्न यह है कि क्या बीस हजार रुपया दे कर एक जान बचाना जरूरी है, या 150, 200 या 300 रुपये देकर हजारों की जानें बचाना जरूरी है। हम ने एक ट्रस्ट कायम किया है। उस में ज्यादा पैसा नहीं आया है—पांच लाख के करीब आया है। हम उससे भी कुछ चिकित्सा करा पाते है। अभी तक हम ने किसी को वापस नहीं किया है। लेकिन हम समझते हैं कि भविष्य में हमें अपने हृदय पर पत्थर रख कर वापस करना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं—और मैं चाहता हूं कि इस सदन की आवाज बाहर गूंजे—कि वे भी इस बात का प्रयास करें कि जो धनी-मानी लोग ट्रस्ट को दान दे सकते हैं, वे उदारता के साथ ट्रस्ट को पैसा दें। हमारे पास जो लोग आते हैं, उनके लिए हम इंस्टीट्यूट को पैसा भेज देते हैं, जिस से उन का आपरेशन हो जाता है। उस ट्रस्ट में हमारे प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई, वित्त मंत्री और हम हैं। उस ट्रस्ट में धन के दुरुपयोग की कोई गुंजायश नहीं है। उस के द्वारा पैसा बिलकुल ठीक ढंग से खर्च किया जायेगा। वह पैसा हृदय रोग, किडनी रोग और कैंसर, इन तीन बड़े बड़े रोगों के लिए रखा गया है।

SHRI DINEN BHATTACHARYA: May I know whether it is a fact that

the best heart surgery arrangement is in the Vellore hospital where the minimum amount of Rs. 15,000 is required for the operation of a heart patient? I know many cases where patients have applied to the Central Government as well as to the state Government but in very few cases they are getting any help either in money or in any way, recommending or arranging with the Vellore hospital, to see that the poor patients get the facility of heart surgery without any cost. Would the hon. Minister do something in this regard?

श्री राजनारायण : मैं चाहता हूं कि यह सदन कृपा करके हमारे पास इतनी निधि रखवा दे कि हमें किसी भी हार्ट पेशन्ट, किडनी पेशन्ट और कैंसर के पेशन्ट को वापस करने की आवश्यकता न पड़े और हम उन सब की चिकित्सा मुफ्त करा सकें। मैं चाहता हूं कि भगवान् वह दिन जल्दी लायें, जबकि हमारे पास इतने फंड्ज हो जायें। यह सदन स्वास्थ्य मंत्रालय को इतना रुपया दिलवा दे—हमारा पैसा बढ़वा दे।

SHRI B. RACHAIAH: The hon. Minister of Health seems to be having more experience with regard to the diseases of heart and hyper-tension. He has suggested some Ayurvedic medicine which costs very much less. Would he be pleased to write a book prescribing Ayurvedic medicines to the patients who are suffering from heart disease, hyper-tension and low blood pressure? Would he undertake that job?

श्री राज नारायण : श्रीमन्, सम्मानित सदस्य ने एक व्यंग्यात्मक प्रश्न पूछा है। आयुर्वेदिक पद्धति, एलोपैथिक पद्धति, सारी पद्धतियों का विचार कर के मैं निवेदन कर रहा हूं और अगर आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में जानना हो तो उस में कुछ विशेष रुचि लेकर पढ़ने की कृपा करें। अभी दो दिन का एक सेमिनार हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट में कि किस तरीके से आयुर्वेदिक पद्धति से ये जो भीतरी रोग हैं उन को दूर किया जाय और लोगों ने यह पाया कि आयुर्वेदिक पद्धति सब से अच्छी पद्धति है। इसलिए आयुर्वेदिक पद्धति को भी लोग इस्तेमाल करें हृदय रोग को दूर करने के लिए तो यह एक अच्छी चीज है। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि आयुर्वेदिक पद्धति को भी कुछ लोग महंगा करते जा रहे हैं, जैसे मोती भस्म, स्वर्ण-भस्म और हीरा-भस्म, जो हार्ट के काम में आते हैं, ये इतने महंगे हो गए हैं कि उस के लिए भी काफी पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं सम्मानित सदस्य से कहूंगा कि साइंस सिस्टम कैसे हो, क्या हो, सब का क्या निरूपण हो, रोगों को दूर करने के लिए क्या उपकरण किया जाय, इस की व्यवस्था करने के लिए एक कमेटी हम ने बैठायी है। वह इस की जांच करेगी कि क्या-क्या किया जाय। इसीलिए हम ने अपने इंडिजिनस सिस्टम के चार विभाग कर दिए हैं और सब विभाग अलग-अलग ढंग से इस पर अपनी राय देंगे।

Private Practice by Doctors

*1072. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to frame any rule for banning private practice by Government medical doctors; and

(b) if so, the details thereof?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) सरकार का विचार सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस करने से रोकने के लिए कोई भी नियम बनाने का नहीं है क्यों कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य सरकारों को विचार करना है। 29 से 31 जनवरी, 1978 तक नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् के चौथे संयुक्त सम्मेलन ने सर्व सम्मति से यह सिफारिश की है कि सरकारी डाक्टरों तथा मेडिकल कालेजों में कार्य कर रहे डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक लगाई जाये और उन्हें अतिपूरक प्रेक्टिस-बन्दी भत्ता दिया जाए। यह सिफारिश आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही के लिए सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई है। भारत सरकार के अधीन डाक्टरों के प्राइवेट प्रेक्टिस करने पर पहले से ही प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

श्री गण नाथ प्रधान : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स या स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से क्या कोई सिफारिश इस सम्बन्ध में उनको मिली है? यदि मिली है तो क्या उन्होंने सेंटर की ओर से उस के लिए गाइडलाइन्स बनाने के लिए कुछ काम किया है? यह गाइडलाइन्स वह कब तक बनाएंगे और ये डाक्टर लोग गांवों में जा कर गांव वालों के बीच में कुछ दिन काम करें, यह उन के लिए कम्पल्सरी करने के लिए कोई ला वह कब तक बनाने जा रहे हैं?

श्री राजनारायण : सम्मानित सदस्य को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, केन्द्र का विषय नहीं है। राज्य सरकारें इस पर समुचित कानून बना सकती हैं।